बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र010/दलहन–तेलहन अधि0–03/2026 1539 खाद्य, पटना/दिनांक– 30/03/2026

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– रबी विपणन मौसम, 2026–27 में प्राईस सपोर्ट स्कीम **Price Support Scheme (PSS)** के तहत मसूर अधिप्राप्ति हेतु कार्ययोजना एवं मार्गदर्शिका के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय अधिसूचना संख्या–1526 दिनांक–30.03.2026

महाशय,

Price Support Scheme (PSS) के तहत रबी विपणन मौसम, 2026–27 में मसूर अधिप्राप्ति कार्यक्रम 10 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य के पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक मसूर की अधिप्राप्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश तैयार किया गया है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि रबी विपणन मौसम, 2026–27 में मसूर अधिप्राप्ति हेतु तैयार कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किसानों से लक्ष्य के अनुरूप मसूर की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

अनु0– यथोक्त ।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/दलहन–तेलहन अधि0–03/2026 1539 खाद्य, पटना/दिनांक– 30/03/2026

प्रतिलिपि–सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), तृतीय तल, दीपशीला कॉपलेक्स, अशोक सिनेमा के बगल में, बुद्ध मार्ग, पटना /शाखा प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0), तृतीय तल, दीपशीला कॉपलेक्स, अशोक सिनेमा के बगल में, बुद्ध मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/दलहन–तेलहन अधि0–03/2026 1539 खाद्य, पटना/दिनांक– 30/03/2026

प्रतिलिपि– सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/दलहन–तेलहन अधि0–03/2026 1539 खाद्य, पटना/दिनांक–30/03/2026
प्रतिलिपि– निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या L-15016/23/2026-MPS (185308) दिनांक 23.03.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/दलहन–तेलहन अधि0–03/2026 1539 खाद्य, पटना/दिनांक–30/03/2026
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/दलहन–तेलहन अधि0–03/2026 1539 खाद्य, पटना/दिनांक–30/03/2026
प्रतिलिपि– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

रबी विपणन मौसम, 2026–27 में भारत सरकार के Price Support Scheme (PSS) के तहत राज्य स्तरीय सपोर्टर सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम तथा केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के सहयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के निबंधित किसानों से मसूर की अधिप्राप्ति करने हेतु कार्य–योजना एवं मार्गदर्शिका।

राज्य में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से रबी विपणन मौसम, 2026–27 में राज्य के निबंधित किसानों से मसूर की अधिप्राप्ति भारत सरकार के Price Support Scheme (PSS) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या L-15016/23/2026-MPS (185308) दिनांक 23.03.2026 द्वारा राज्य में मसूर की अधिप्राप्ति करने की अनुमति प्रदान की गयी है। रबी विपणन मौसम, 2026–27 में मसूर अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 32,000 मे0टन निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि रबी विपणन मौसम 2025–26 एवं उसके पश्चात् के अधिप्राप्ति वर्षो में दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति हेतु सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राज्य स्तरीय सपोर्टर तथा केन्द्रीय अभिकरण के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0) को नामित कर राज्य अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति सम्पन्न करने का निर्णय लिया गया है, तदालोक में राज्य स्तरीय सपोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के सहयोग से सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा मसूर की अधिप्राप्ति हेतु राज्य के सभी जिलों में क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी तथा कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत/निबंधित तथा सहकारिता विभाग के पोर्टल https://esahkari.bihar.gov.in पर आवेदन करने वाले किसानों से मसूर की अधिप्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित विर्निदिष्टियों के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जायेगी।

चूँकि राज्य में मसूर की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग के पोर्टल https://esahkari.bihar.gov.in के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी, ऐसी स्थिति में किसानों से आवेदन प्राप्त किये जाने, मसूर का क्रय, किसानों का भुगतान तथा अधिप्राप्त मसूर को नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों में जमा कराने तक की पूरी कार्रवाई https://esahkari.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से की जाएगी तथा उपरोक्त अधिप्राप्ति से संबंधित डाटा ए0पी0आई0 के माध्यम से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड के e-samriddhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर Real Time अपलोड/साझा किया जाएगा। किसानों को उनके उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा https://esahkari.bihar.gov.in पोर्टल पर क्रय किये गये मसूर की मात्रा के आलोक में सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापन के पश्चात किसानों का डाटा बेस प्राप्त कर 48 घंटों के अंदर प्राप्त एडवाईस के आधार पर उनके बैंक खातों में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

भारत सरकार के पत्र संख्या 6-2/2025-MSP-ES दिनांक 08.10.2025 द्वारा रबी विपणन मौसम, 2026–27 के लिए मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7000 रूपया प्रति क्विंटल निर्धारण किया गया है। तदनुरूप भारत सरकार से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, लक्ष्य तथा राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मसूर की अधिप्राप्ति की अवधि, केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के संग्रहण केन्द्रों पर मसूर को जमा कराने की अवधि तथा केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :–

1	**मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य**	**7000/–रूपया प्रति क्वीं0**
2	**मसूर अधिप्राप्ति का लक्ष्य**	**32,000 मे0टन**
3	**मसूर अधिप्राप्ति की अवधि**	**10.04.2026 से 31.05.2026**
4	**CWC/SWC के गोदामों पर जमा करने की अवधि**	**10.04.2026 से 07.06.2026 ***
5	**केन्द्रीय अभिकरण, नेफेड को आवंटित जिले**	**औरंगाबाद, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, नवादा, बॉका, कैमूर, रोहतास, अरवल, शेखपुरा, भोजपुर, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, सुपौल,**
6	**केन्द्रीय अभिकरण, एन0सी0सी0एफ0 को आवंटित जिले**	**अररिया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियॉ, पूर्वी चम्पारण, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली, पटना, बेगूसराय**

* CWC/SWC के गोदामों पर अधिप्राप्त मसूर की मात्रा को सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 07.06.2026 होगी।

2. मसूर अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ।

i. रबी विपणन मौसम 2026–27 में राज्य अंतर्गत मसूर की अधिप्राप्ति के लिए सर्वप्रथम राज्यस्तरीय सपोर्टर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा केन्द्रीय अभिकरण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0) के साथ एम0ओ0यू0 (एकरारनामा) सम्पन्न किया जायेगा। एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित होने के उपरान्त अधिप्राप्ति कार्य को निर्धारित समयानुसार प्रारंभ किया जाएगा।

ii. रबी विपणन मौसम 2026–27 में मसूर की अधिप्राप्ति राज्य के सभी जिलों में कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित एवं सहकारिता विभाग के पोर्टल https://esahkari. bihar.gov.in पर आवेदन किये जाने वाले किसानों से किया जायेगा तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान उनके बैंक खाते में 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा।

iii. मसूर की अधिप्राप्ति राज्य स्तरीय सपोर्टर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर सम्पन्न की जाएगी एवं 10 अप्रैल 2026 से स्थापित क्रय केन्द्रों को निश्चित रूप से क्रियाशील कर दिया जायेगा।

iv. केन्द्रीय अभिकरण नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल के स्तर पर मसूर की अधिप्राप्ति हेतु स्थापित प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर अपने गुणवत्ता नियंत्रकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी तथा उनके द्वारा गुणवत्ता से संबंधित निर्गत प्रमाण पत्र तथा अधिप्राप्ति की मात्रा हेतु निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों पर अधिप्राप्त मसूर को अनिवार्य रूप से प्राप्त कराया जायेगा।

v. पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा मसूर अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विर्निदिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता की जाँच कर निबंधित किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मसूर की अधिप्राप्ति कर नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC के गोदामों में जमा कराया जाएगा, जिसकी दूरी क्रय केन्द्रों से अधिकतम 50 किलोमीटर के भीतर होगी।

vi. मसूर की अधिप्राप्ति कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर निबंधित तथा सहकारिता विभाग के पोर्टल https://esahkari.bihar.gov.in पर आवेदन करने वाले किसानों से किया जायेगा।

vii. कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर किसानों द्वारा भूमि से संबंधित तथा अन्य सूचनाओं को अंकित कर निबंधित होने तदोपरान्त सहकारिता विभाग के पोर्टल https://esahkari.bihar.gov.in पर आवेदन किये जाने के पश्चात् उन किसानों से मसूर का क्रय पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा किया जा सकेगा।

viii. कृषि विभाग में निबंधित रैयती किसान द्वारा निबंधन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar. gov.in पर भूमि से संबंधित तथा अन्य सभी वांछित सूचनाओं को अंकित किए जाने के पश्चात् स्वतःजनित घोषणा–पत्र के आधार पर अपने पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर स्थापित व्यापार मंडल द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों में मसूर अधिप्राप्ति कराई जाएगी।

ix. गैर–रैयती किसान द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन के पश्चात् उक्त पंजीयन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अंकित किया जाएगा। तत्पश्चात् स्वतःजनित घोषणा–पत्र पर (क) किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक तथा (ख) वार्ड सदस्य या उनके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य (क एवं ख दोनो से) से संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर मसूर अधिप्राप्ति अपने पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर स्थापित व्यापार मंडल द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों पर कराई जाएगी।

x. राज्य स्तरीय सपोर्टर सहकारिता विभाग जिला स्तर पर प्रत्येक जिला के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे। जिला स्तर पर नियुक्त नोडल पदाधिकारी मसूर की अधिप्राप्ति हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। साथ ही उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मसूर की अधिप्राप्ति से संबंधित सभी कार्य यथा किसानों से आवेदन प्राप्त करने, क्रय केन्द्रों की सूचना, अधिप्राप्ति की मात्रा एवं किसानों द्वारा समर्पित जमीन से संबंधित सभी सूचनाओं को सहकारिता विभाग के पोर्टल https://esahkari.bihar.gov.in पर अपलोड करते हुए अधिप्राप्ति से संबंधित डाटा ए0पी0आई0 के माध्यम से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड के e-samriddhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर Real Time अपलोड/साझा किया जा रहा है।

xi. किसानों के संबंध में https://esahkari.bihar.gov.in पर पोर्टल पर अपलोड किसी भी डाटा में परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय सपोर्टर/जिले के नोडल पदाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगा तथा परिवर्तन से संबंधित अभिलेख को नेफेड के e-samriddhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

xii. सभी रैयती/गैर रैयती किसानों से प्रति किसान 40 क्वीं0 मसूर की अधिप्राप्ति की जाएगी। मसूर की अधिप्राप्ति के लिए अधिकतम 40 क्वीं0 की सीमा होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए मसूर की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।

xiii. राज्य स्तरीय सपोर्टर, सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसानों से वायदा आधारित मसूर की अधिप्राप्ति नहीं किया जाएगा एवं सहकारिता विभाग के पोर्टल https:// esahkari.bihar.gov.in पर आवेदन करने वाले किसानों से अधिप्राप्ति की गयी मसूर की मात्रा को लॉटवार अथवा 01 क्विंटल के गुणक में नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC के गोदामों पर निर्धारित अवधि में जमा कराया जाएगा।

3. राज्य सरकार द्वारा मसूर की अधिप्राप्ति हेतु लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन के लिए प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलंब सुनिश्चित कर ली जाए :–

(A) **लक्ष्य एवं क्रय केन्द्र का निर्धारण।**

i. रबी विपणन मौसम, 2026–27 के लिए भारत सरकार के द्वारा मसूर की अधिप्राप्ति के लिए . 32,000 मे0टन का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपर्युक्त लक्ष्य को सांकेतिक लक्ष्य माना जाए एवं जिलों के वास्तविक उत्पादन के 25

प्रतिशत मात्रा के समतुल्य रैयती तथा गैर–रैयती किसानों के लिए निर्धारित अधिप्राप्ति की मात्रा के अनुरूप मसूर की अधिप्राप्ति की जाए।

ii. राज्य स्तरीय सपोर्टर, सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा सभी जिलों में क्रय केन्द्र की स्थापना कर https://esahkari.bihar.gov.in पर आवेदन करने वाले किसानों से मसूर की अधिप्राप्ति कर क्रय केन्द्रों से अधिकतम 50 किलोमीटर की दूरी पर नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC के गोदामों पर प्राप्त कराने का दायित्व होगा।

(B) मसूर की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित क्रय केन्द्रों पर निम्नांकित तैयारी अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए :–

i. किसानों के निबंधन के लिए क्रय केन्द्रों पर इन्टरनेट, कम्प्यूटर/लैपटॉप आदि की व्यवस्था।

ii. क्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भण्डारण हेतु समुचित व्यवस्था।

iii. माप–तौल यंत्र की व्यवस्था।

iv. केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल के मसूर की अधिप्राप्ति हेतु स्थापित क्रय केन्द्रों पर गुणवत्ता की जाँच के लिए गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

v. सहकारिता विभाग के पोर्टल https://esahkari.bihar.gov.in पर अपलोड की गई अधिप्राप्ति से संबंधित डाटा ए0पी0आई0 के माध्यम से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड के e-samriddhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर Real Time अपलोड/साझा किये जाने की व्यवस्था।

vi. पर्याप्त रोशनी एवं विद्युत की व्यवस्था।

vii. योग्य कर्मियों एवं गुणवत्ता नियंत्रकों की प्रतिनियुक्ति।

viii. पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त आवश्यक पंजियों का संधारण तथा प्रत्येक दिन किसानों से अधिप्राप्ति की गयी मसूर को संग्रहण केन्द्रों पर जमा कराने हेतु समुचित परिवहन की व्यवस्था।

ix. निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत किसानों को भुगतान की व्यवस्था।

x. क्रय केन्द्रों पर तारपोलिंग/तीरपाल की व्यवस्था।

xi. Electronic माध्यम से निर्धारित समय–सीमा में किसानों को भुगतान की व्यवस्था।

<u>(C) गन्नी बैग्स की व्यवस्था।</u>

केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा मसूर अधिप्राप्ति हेतु आवंटित जिला एवं लक्ष्य के आकलन करते हुए मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप एकरूपता के दृष्टिगत राज्य स्तरीय सपोर्टर पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर गन्नी बैग्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

<u>(D) भण्डारण की व्यवस्था।</u>

(1) रबी विपणन मौसम, 2026–27 में मसूर की अधिप्राप्ति के लिए सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा सभी जिलों में क्रय केन्द्र की स्थापना की जानी है तथा अधिप्राप्ति से प्राप्त मसूर की मात्रा को क्रय केन्द्र से अधिकतम 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों में संधारित किया जाना है।

(2) **केन्द्रीय अभिकरण, नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा अधिप्राप्त मसूर को प्राप्त कराये जाने हेतु चयनित CWC/SWC के गोदामों में निम्नलिखित व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा :–**

i. गोदामों पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त योग्य कर्मियों की व्यवस्था।

ii. प्रतिदिन e-Samridhi पोर्टल एवं e-sanyukti पोर्टल पर सूचना अपलोड करने हेतु आवश्यक संसाधन के अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था।

(E) **क्रय केन्द्रों पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात।**

i. रैयती किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर धारित भूमि संबंधी सूचनाओं को ऑन–लाईन अपलोड किए जाने के पश्चात फोटोयुक्त पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज–इनमें से कोई एक।

ii. गैर रैयती कृषि विभाग में निबंधित किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर खेती की जाने वाली भूमि से संबंधित सूचनाओं को अपलोड किए जाने के पश्चात (i) स्वतःजनित घोषणा–पत्र पर (क) किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक तथा (ख) वार्ड सदस्य या उनके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य (क एवं ख दोनो से) से संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र तथा (ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज।

iii. क्रय केन्द्रों पर किसानों से मसूर का क्रय करने के क्रम में पंजीकृत किसानों तथा कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि संबंधी सूचनाओं को अपलोड किए जाने की सूची से मिलान सुनिश्चित किया जाएगा तथा सत्यापनोपरान्त किसानों द्वारा समर्पित स्वतः जनित प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र के आलोक में मसूर की अधिप्राप्ति की जाएगी।

(F) **भुगतान की व्यवस्था।**

i. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा मसूर की अधिप्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान उनके नामित खातों में सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निधि की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा https://esahkari. bihar.gov.in पोर्टल पर क्रय किये गये मसूर की मात्रा के आलोक में सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापन के पश्चात किसानों का डाटा बेस प्राप्त कर 48 घंटों के अन्दर किसानों का भुगतान प्राप्त एडवाईस के आधार पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी के साथ जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम का संयुक्त दायित्व होगा कि किसानों का भुगतान किसी भी परिस्थिति में लंबित न रहे एवं भुगतान से संबंधित आवश्यक प्रतिवेदन प्रत्येक दिन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम मुख्यालय में समर्पित किया जाना बाध्यकारी होगा।

ii. मसूर के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अन्य आनुषांगिक व्यय (Incidental Cost) यथा परिवहन, हथालन, भण्डारण, ब्याज व्यय आदि पर केन्द्रीय अभिकरण नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में उनके CWC/SWC के गोदामों (संग्रहण केन्द्रों) में गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा निर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं अधिप्राप्ति की मात्रा हेतु निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर जमा कराये गये मसूर के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सभी आनुषांगिकों को जोड़कर अविलंब भुगतान सीधे बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सुनिश्चित किया जायेगा। केन्द्रीय अभिकरणों यथा नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 से Incidental मद में प्राप्त राशि को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए स्वीकृत Service Charge को छोड़कर शेष राशि पैक्सों/व्यापार मंडलों को सीधे उनके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा ।

(G) **जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण /पर्यवेक्षण की व्यवस्था।**

i. रबी विपणन मौसम, 2026–27 से मसूर की अधिप्राप्ति कार्य के अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिनके द्वारा जिला अंतर्गत मसूर अधिप्राप्ति हेतु संचालित क्रय केन्द्रों का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण /निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बनी रहे।

ii. अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण की प्रक्रिया सहकारिता विभाग के पोर्टल https://esahkari.bihar.gov.in के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तरीय सपोर्टर द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक दिन अधिप्राप्ति क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये मसूर की मात्रा/भुगतान एवं अन्य कार्यो से संबंधित प्रतिवेदन को https://esahkari.bihar.gov.in पोर्टल पर अपलोड करते हुए संबंधित डाटा ए0पी0आई0 के माध्यम से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड के e-samriddhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर Real Time अपलोड/साझा करेंगे तथा उसकी एक प्रति बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सहकारिता विभाग को भेजते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायेगें।

(H) पैक्स एवं व्यापार मंडल अवस्थित संग्रहण केन्द्रों से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों पर जमा कराये जाने हेतु Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति।

i. पैक्स एवं व्यापार मंडल अवस्थित संग्रहण केन्द्रों से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों पर जमा कराये जाने के लिए नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के द्वारा प्रतिनियुक्त Enforcement Officer के माध्यम से Acceptance Order निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर नेफेड के संग्रहण केन्द्रों पर मसूर की मात्रा को प्राप्त किया जाएगा।

4. रबी विपणन मौसम , 2026–27 से मसूर की अधिप्राप्ति हेतु विभिन्न स्तरों (पदाधिकारियों/विभागों) की भूमिका।

(A) <u>जिला पदाधिकारी की भूमिका।</u>

i. जिला अंतर्गत मसूर हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मसूर की अधिप्राप्ति पैक्स एवं व्यापार मंडल अवस्थित संग्रहण केन्द्रों में संधारण तथा नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों पर हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।

ii. राज्य स्तरीय सपोर्टर के द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों का निरीक्षण एवं वास्तविक किसानों से पारदर्शी तरीके से मसूर की अधिप्राप्ति कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

iii. क्रय केन्द्रों पर प्रत्येक दिन अधिप्राप्ति की गयी मसूर की मात्रा तथा नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों पर उक्त मात्रा को प्राप्त कराये जाने से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सहकारिता विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भेजना।

iv. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों एवं गोदामों पर आवश्यकता अनुरूप आरोप रहित अनुभवी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।

v. राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

(B) <u>जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियाँ।</u>

i. राज्य के सभी जिलों में मसूर अधिप्राप्ति हेतु स्थापित क्रय केन्द्रों में मसूर की अधिप्राप्ति का सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी आवश्यकता के अनुरूप किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को अधिप्राप्ति कार्य में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

(C) राज्य स्तरीय सपोर्टर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं सहकारिता विभाग की भूमिका।

i. राज्य के सभी जिलों में मसूर अधिप्राप्ति हेतु सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय केन्द्र स्थापित करना एवं निर्धारित समयानुसार उसे क्रियाशील बनाना।

ii. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा मसूर की अधिप्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान उनके नामित खातों में सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निधि की व्यवस्था की जायेगी।

iii. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा मसूर की अधिप्राप्ति के पश्चात केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC के गोदामों में जमा कराये जाने हेतु परिवहन आदि की व्यवस्था करना।

iv. किसानों से की गई मसूर अधिप्राप्ति एवं किसानों को की गई भुगतान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज को जिला स्तर पर सुरक्षित रख–रखाव की व्यवस्था करना।

v. अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।

vi. मसूर की अधिप्राप्ति से संबंधित अद्यतन सूचना https://esahkari.bihar.gov.in पोर्टल से ए0पी0आई0 के माध्यम से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड के e-samriddhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर Real Time अपलोड/साझा करना एवं प्रत्येक दिन अधिप्राप्ति की मात्रा एवं किसानों को किये गये भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराना।

vii. क्रय केन्द्रों पर इन्टरनेट की सुविधा के अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं मोबाईल आदि की व्यवस्था करना।

viii. जिला स्तर पर मसूर की अधिप्राप्ति के लिए नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करना।

(D) मसूर की अधिप्राप्ति में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका।

i. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य स्तरीय सपोर्टर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा मसूर अधिप्राप्ति से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।

ii. नोडल विभाग के हैसियत से राज्य स्तरीय सपोर्टर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सहकारिता विभाग तथा विभाग के बीच समन्वय का कार्य करना।

iii. राज्य स्तरीय सपोर्टर से मसूर अधिप्राप्ति से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन का संकलन कर अग्रेतर सूचनाओं से अवगत कराना।

(E) स्थानांतरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध।

i. मसूर की अधिप्राप्ति में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी दलहन अधिप्राप्ति से संबंधित सभी अभिलेख एवं भण्डार का पूर्ण प्रभार सौंपने के पश्चात ही विरमित किए जाएगें।

ii. मसूर की अधिप्राप्ति में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अत्यंत आवश्यक स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात सक्षम प्राधिकार के स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित।

25/03/26

सचिव,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना।

20/3/26

सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।